

क्रमांक :- प.लेखा- /निविदा/

दिनांक :-


ई-निविदा सूचना संख्या : 01 / 2021-22

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिए अधिशाषी अभियन्ता गंगनहर ओ.एफ.डी. खण्ड-1 सि.क्षे.वि. श्रीविजयनगर द्वारा निर्माण विभागों में सक्षम श्रेणी में नियमानुसार (समय-समय पर संशोधित) प्रभावी आदेशों के तहत पंजीकृत फर्मो/संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में ई- प्रोक्यूरमेंट (ई-टेण्डरिंग) प्रक्रिया द्वारा आनलाइन निविदायें आमन्त्रित की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि रू. लाखों में)	ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क रू. में	निविदा शुल्क रू. में	कार्य पूर्ण करने की अवधि (अधिकतम)
1	2	3	4	5	6
पक्के खालों का निर्माण कार्य विभागीय डिजाइन एवं स्पेशिफिकेसन के अनुसार (समस्त सामग्री ठेकेदार की होगी)					
1	CHAK 14 PS-A	44.64	500/-	1000/-	5 माह
2	CHAK 21 PS	69.84	1000/-	1000/-	5 माह
3	CHAK 23 PS-A	42.88	500/-	1000/-	5 माह
	CHAK 25 PS-A	28.00	500/-	1000/-	5 माह

- निविदा प्रपत्रों को वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलैक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा करायें। यह निविदा वेबसाइट <http://www.dipronline.org> एवं www.sppp.raj.nic.in तथा विभागीय वेबसाइट <http://www.cad.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है।
- निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन/डाउनलोड की अवधि दिनांक 17.06.2021 सांय: 6:00 बजे से 28.06.2021 सांय 6.00 बजे तक होगी।
- (अ) निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रॉनिक फारमेट वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 28.06.2021 सांय 6.00 बजे तक जमा /अपलोड कराये जा सकते हैं एवं प्राप्त तकनीकी निविदाएं इलैक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 29.06.2021 को सांय: 03:00 बजे खोली जायेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्य दिवस को उसी समय व उसी स्थान पर निविदाएं खोली जायेगी।
- (ब) निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाइन होगी।
- (स) निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी निविदाएं नहीं खोली जा सकती है तो इसके अगले कार्यदिवस को शेष निविदाएं खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
- (द) सभी निविदाता वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2(1)वित्त/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 के निर्देशानुसार संलग्न बिड सिक्यूरिटी के सम्बन्ध में घोषणा पत्र 50 रूपये के नानज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर कर निविदा फॉर्म के साथ अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- (य) उपरोक्त सारणी के कॉलम 4 में दर्शायी गई ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क राशि एवं कॉलम 5 में दर्शायी गई निविदा शुल्क राशि का भुगतान राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(5)वित्त/साविलेनि/2018/जयपुर दिनांक 27.04.2020 के पूर्ण अनुसरण में नियमानुसार बिडर द्वारा ई-ग्रास पर प्रोफार्मल बनाने के बाद एक ही भुगतान से ऑनलाईन जमा करवाना आवश्यक होगा। उक्त राशि में से ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क राशि (आर.आई.एस.एल फीस) एवं निविदा शुल्क राशि रिफण्ड योग्य नहीं होगी। विवरण निम्नानुसार है :-

Particulars. of Items	Budget Head	Amount in Rs.	Treasury Ganganagar	
			DDO Code	Division code
Bid Document Fees	0075-00-800-52-01	As per above table column no. 5	3950	3950
RISL Processing Fees	8658-00-102-(16)-[02]	As per above table column no. 4	3950	3950



4. कार्य करने हेतु कार्य स्थल उपलब्ध है।
5. कार्यो से संबंधित निविदा प्रपत्र को किसी भी कार्य दिवस मे दिनांक 17.06.2021 साय: 06:00 बजे से 28.06.2021 साय 6.00 बजे तक देखा जा सकता है।
6. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क/धरोहर राशि ई-ग्रास द्वारा दिनांक 28.06.2020 को साय 6.00 बजे से पूर्व नियमानुसार ऑनलाईन अधिशाषी अभियन्ता गंगनहर ओ.एफ.डी खण्ड-1 सि.क्षे.वि. श्रीविजयनगर के पक्ष में जमा/मेल eegnp1.bkn.cad@rajasthan.gov.in भेजा जाना आवश्यक है।
7. यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नि) कार्य से संबंधित वृत अथवा खण्ड मे खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेंगा।
8. राज्य सरकार मे किसी भी अभियात्रिकी विभाग मे किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवानिवृति के दो वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप मे कार्य नही कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियो मे कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां सेवा लेने से पहले अनुमति नही ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेंगा।
9. निविदादाता इन प्रपत्रो को डाउनलोड कर सकते है। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क ई-ग्रास के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय तक ऑनलाईन जमा करवाना आवश्यक है।
10. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताए निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।
11. आर.पी.डब्ल्यू ए-100 की समस्त शर्तें मान्य होगी।
12. संवेदक द्वारा उक्त कार्यो के लिए निर्धारित मशीनरी एवं साज समान जो निविदा की स्पेशल कन्डीशन मे वर्णित है को स्वयं के पास होने या किराये पर लेने का प्रमाण पत्र देना होगा।
13. कार्य पूर्ण करने की अवधि मे मानसून अवधि सम्मलित है।
14. कार्य का दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड) का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात एक पूरी वर्षा की समाप्ति या कार्य पूर्ण करने की अवधि के तिथि के 6 मास पश्चात तक जो भी पश्चातवर्ती हो तक रहेगा।
15. मोटार एवं कंकरीट मिक्सींग हेतु पावर मिक्सर का उपयोग अनिवार्य है।
16. नाका शटर एवं फ्रेम यदि विभाग के पास उपलब्ध होने पर उनका उपयोग अनिवार्य होगा। विभाग के पास उपलब्ध होने पर संवेदक को भुगतान नही होगा।
17. निविदा खोलने की दिनांक से निविदा स्वीकृत हेतु मान्य अवधि तक यदि निविदादाता अपनी निविदा में कोई संशोधन करता है अथवा निविदा वापिस लेता है तो उसकी धरोहर राशी जब्त कर ली जावेगी।
18. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ-1 एफ.डी/जीएफएण्डएआर/2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार रु. 50.00 लाख तक 500/- रुपये व 50.00 लाख से अधिक 1000/- रु. की राशि प्रकिया शुल्क के रूप मे देय होंगी। इस राशि का भुगतान राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 6(5)वित्त/साविलेनि/2018/जयपुर दिनांक 27.04.2020 के पूर्ण अनुसरण में नियमानुसार बिडर द्वारा ई-ग्रास पर प्रोफाईल बनाने के बाद एक ही चालान से ऑनलाईन जमा करवानी आवश्यक होगी।
19. ई-टेण्डरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश
 - (अ) इन निविदाओ में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रो को इन्टरनेट साइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर सकते है।
 - (ब) निविदा में भाग लेने वाले निविदादातो को इन्टरनेट साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाइन निविदा मे भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टीफिकेट इनफोरमेशन टेकनोलोजी एक्ट-2000 के तहत प्राप्त करना होगा। जो इलैक्ट्रोनिक निविदा मे साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टीफिकेट सीसीए द्वारा स्वीकृत एजेसी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदाताओ के पास पूर्व मे वैध डिजिटल सर्टीफिकेट है, नया डिजिटल सर्टीफिकेट लेने की आवश्यकता नही है।
 - (स) निविदादाताओ का निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फारमेट मे उपरोक्त वैबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नही होंगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नही किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म मे स्वीकार नही होगा।
 - (द) ऑनलाइन निविदा निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त क्रम सं. 3 के अनुसार खोली जायेगी।

- (य) इलैक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवें की निविदा प्रपत्रों से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गई है।
- (र) कोई भी टैण्डर इलैक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेवार विभाग नहीं होगा।
- (ल) टैण्डर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।
20. संविदाकर्ता/ठेकेदार द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियो एवं सेवा शर्तें विनि) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों का पंजियन करवाना होगा तथा श्रमिकों का उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत देय हित लाभ व सुविधाएं उपलब्ध करवाई जावेंगी। निर्माण कार्य की लागत का 1 प्रतिशत उपकर अधिनियम के अन्तर्गत काटा जायेगा।
21. शर्तयुक्त निविदा मान्य नहीं होगी।
22. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 मय समस्त नियम लागू होगा।
23. फर्म द्वारा टैण्डर अपलोड करने के बाद यदि सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया जाता है तो भी एम डी आर आई एस एल जयपुर की निर्धारित फीस रु. 500/- अथवा रु. 1000/- ई-ग्रास के माध्यम से ऑनलाईन जमा करवाना आवश्यक होगा। अन्यथा फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
24. पक्का खाला निर्माण कार्य शुरू होने की दिनांक से कार्य समाप्त होने तक संवेदक अपने कैम्प में एक अस्थाई प्रयोगशाला स्थापित करेगा, जिसमें निम्न प्रयोगशाला उपकरण (न्यूनतम) निर्माण कार्यों में प्रयोग होने वाली सामग्री की जांच के लिए विभागीय अधिकारियों को मौके पर उपलब्ध करवाना होगा।
1. Compression testing machine for mortar-1 2. Sieve set for fine aggregates-1
3. Instant moisture meter-1 4. DBD testing set-1 5. Electronic weighing machine-1
6. Mortar cube module-12 7. Auto level-1
25. ओ.के. कार्ड में सहायक अभियंता एवं सहायक अभियंता (गुण नियंत्रण)/अधिशाषी अभियंता के हस्ताक्षर होने के उपरांत ही कार्य आरम्भ होगा। ओ.के. कार्ड में दिये गये बिंदुओं की पालना संवेदक द्वारा की जानी जावेगी।

(विष्णु विनोद अग्निहोत्री)
अधिशाषी अभियन्ता,
गंगानहर ओ.एफ.डी.खण्ड-I
सि.क्षे.वि., श्रीविजयनगर

दिनांक :- 16/06/2021

क्रमांक :- प.लेखा- /निविदा/ 338
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित/प्रस्तुत है।

1. आर्युक्त, क्षेत्रीय विकास इंगानप., बीकानेर।
2. मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) सीएडी बीकानेर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सि.क्षे.वि., ओ.एफ.डी., वृत्, इंगानप, बीकानेर/हनुमानगढ/गंगानहर ओ.एफ.डी. वृत् सिक्षेवि श्री गंगानगर।
4. अधिशाषी अभियन्ता OFD Div-I Bikaner, Gang nahar OFD Div-III Suratgarh, Gang nahar OFD Div-II Sriganganagar, Gang nahar OFD Div-V Shri Karanpur, Gang nahar OFD Div-VI Suratgarh, Gang nahar OFD Div-VII Sriganganagar, SNIP Div-I Hanumangarh.
5. कोन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन सा.नि.वि. कैम्पस श्रीगंगानगर/हनुमानगढ/बीकानेर।
6. सहायक अभियन्ता गंगानहर उपखड 1,2,3,4 सीएडी रामसिंहपुर/ श्रीविजयनगर /रायसिंहनगर /डाबला हैड।
7. खण्डीय लेखाकार/व.प्रा./कैशियर खण्ड कार्यालय।
8. रक्षा पत्रावली/नोटिस बोर्ड।

(विष्णु विनोद अग्निहोत्री)
अधिशाषी अभियन्ता,